न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 28/2018 जिला सीकर ।

1. रामनारायण पुत्र स्व0 श्री टीकूराम जाति रैगर निवासी ग्राम रायपुरा उपतहसील पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

अपीलान्ट्

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर
2. उपतहसीलदारपलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
3. श्रीमति तारा पत्नि स्व0 धुकल
4. सीताराम पुत्र स्व0 धुकल
5. तिर्थ पुत्र स्व0 धुकल
6. राजेन्द्र पुत्र स्व0 धुकल
7. दीपचन्द पुत्र स्व0 धुकल
8. बुद्धराज पुत्र स्व0 मक्खनलाल
9. प्रहलाद पुत्र स्व0 मक्खन लाल
10. श्रीमति मनभरी पत्नि स्व0 पूर्णमल
11. गुलझारी पुत्र स्व0 पूर्णमल
12. महावीर पुत्र स्व0 पूर्णमल
13. जगदीश पुत्र स्व0 पूर्णमल
14. गोरू पुत्र स्व0 पूर्णमल
15. कुशाल पुत्र स्व0 टीकूराम
16. पलकनाथ पुत्र स्व0 टीकूराम

समस्त जाति रैगर निवासीगण ग्राम रायपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राजस्थान।

रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर दिनांक 02.05.2017 अन्तर्गत धारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री बुजेश पारीक।
2. रेस्पोडेंट संख्या 01 एवं 02 की ओर से राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक–29.07.2021

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर के निर्णय दिनांक 02.05.2017 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ दिनांक 14.06.2018 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा ग्राम रायपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 39 रकबा 0.64 है0, आराजी खसरा नम्बर 38 रकबा 0.40 है0, आराजी खसरा नम्बर 41 रकबा 1.11 है0, आराजी खसरा नम्बर 43 रकबा 1.59 है0, आराजी खसरा नम्बर 22 रकबा 3.45 है0, आराजी खसरा नम्बर 21/1 रकबा 0.10 है0, आराजी खसरा नम्बर 37 रकबा 2.40 है0, आराजी खसरा नम्बर 02 रकबा 26.28 है0 एवं आराजी खसरा नम्बर 01 रकबा 4.07 है0 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक 2619–44/राजस्व/2016 /दिनांक 16.08.2016 एवं 4328–53 राजस्व/2016 दिनांक 21.11.2016" के द्वारा दिये गये निर्देश की पालना में अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2017

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

पारित कर ग्राम रायपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में स्थित में स्थित आराजी खसरा नम्बर 39 रकबा 0.64 है0, आराजी खसरा नम्बर 38 रकबा 0.40 है0, आराजी खसरा नम्बर 41 रकबा 1.11 है0, आराजी खसरा नम्बर 43 रकबा 1.59 है0, आराजी खसरा नम्बर 22 रकबा 3.45 है0, आराजी खसरा नम्बर 21/1 रकबा 0.10 है0, आराजी खसरा नम्बर 37 रकबा 2.40 है0, आराजी खसरा नम्बर 02 रकबा 26.28 है0 एवं आराजी खसरा नम्बर 01 रकबा 4.07 है0 में से प्रस्तावित रकबे की भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये।

3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 02.05.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलांट् स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर के निर्णय दिनांक 02.05.2017 को निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट् की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 03 लगायत 16 की ओर से कोई उपस्थित नही आया। अधिवक्ता अपीलांट् एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौके पर कब्जे की जांच नही की, काबिज काश्तकार अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी नही किया, सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश केवल मात्र साधारण प्रार्थना पत्रो पर साधारण प्रकृति का पारित करके अपीलांट् की पुश्तैनी खातेदारी की कृषि भूमि में नया रास्ता कायम करने के आदेश पारित कर दिये। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2015–2016 के परिपेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक 2619–44/राजस्व/2016 /दिनांक 16.08.2016 एवं 4328–53 राजस्व/2016 दिनांक 21.11.2016 की पालना में तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तो का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने बाबत ग्राम रायपुरा तहसील दांतारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 39, 38, 41, 43, 22, 21/1, 37, 2, 1 हेतु नया रास्ता कायम करने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेश को बनाया गया है जो मौजूदा मामले पर लागु एवं चस्पा नही होता है क्योंकि उक्त बजट घोषणा 2015–2016 के अन्तर्गत पूर्व में मौजूद रास्ता से संबंधित परिपत्र जारी किया गया है। विवादित रास्ता केवल मात्र प्रस्तावित है, मौके पर प्रस्तावित रास्ते का कोई अस्तित्व नही है। सक्षम न्यायालयो में विवाद लम्बित रहने के दौरान एवं स्थगन आदेशो के प्रभावशील होने के दौरान नुमाईशी विकय पत्रो के आधार पर वर्तमान अंकन गलत एवं गैरकानूनी होने के कारण वर्तमान खातेदारान् को पक्षकार नही बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं गंभीर त्रुटि की है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने न तो अपीलांट् को सुनवाई का मौका दिया और बिना किसी प्रकार की कोई साक्ष्य सबूत लिये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट् का कथन है कि प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे तथा विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलांट् स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2017 निरस्त फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम रायपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 39 रकबा 0.64 है0, आराजी खसरा नम्बर 38 रकबा 0.40 है0, आराजी खसरा नम्बर 41 रकबा 1.11 है0, आराजी खसरा नम्बर 43 रकबा 1.59 है0, आराजी खसरा नम्बर 22 रकबा 3.45 है0, आराजी खसरा नम्बर 21/1 रकबा 0.10 है0, आराजी खसरा नम्बर 37 रकबा 2.40 है0, आराजी खसरा नम्बर 02 रकबा 26.28 है0 एवं आराजी खसरा नम्बर 01 रकबा 4.07 है0 के खातेदारो की भूमियों में से होकर प्रचलित रास्ता जाने के कारण नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाते हुये रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

तहसीलदार दांतारामगढ ने रिपोर्ट पटवारी हल्का लढाणा, नजरी नक्शा एवं जमाबन्दी की प्रति संलग्न कर उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर को प्रेषित की थी जिस पर उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2017 पारित कर विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रचलित रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये हैं। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार एवं पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रकरण के गुणावगुण व तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार ग्राम रायपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में स्थित आराजी ासरा नम्बर 39 रकबा 0.64 है0, आराजी खसरा नम्बर 38 रकबा 0.40 है0, आराजी खसरा नम्बर 41 रकबा 1.11 है0, आराजी खसरा नम्बर 43 रकबा 1.59 है0, आराजी खसरा नम्बर 22 रकबा 3.45 है0, आराजी खसरा नम्बर 21/1 रकबा 0.10 है0, आराजी खसरा नम्बर 37 रकबा 2.40 है0, आराजी खसरा नम्बर 02 रकबा 26.28 है0 एवं आराजी खसरा नम्बर 01 रकबा 4.07 है0 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर ने उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2017 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलान्ट् प्रश्नगत अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2017 से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं। वादग्रस्त भूमि के खातेदार होने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार प्रभावित पक्षकारो को नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट् को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य नही है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट् आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात से प्रभावित पक्षकारो की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

9. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

(सेवा राम स्वामी)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

10. निर्णय आज दिनांक 29.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner